सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00028

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी डा. गुजन सोनी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 25/2017

1. सोहनलाल पुत्र श्री बुधराम जाति नायक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. कलावती पुत्री श्री बुधराम जाति नायक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. मायादेवी पुत्री माडूराम पुत्र श्री बुधराम जाति नायक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
4. कमला देवी पुत्री माडूराम पुत्र श्री बुधराम जाति नायक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
5. सुमेस्ता पुत्री माडूराम पुत्र श्री बुधराम जाति नायक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
6. नन्दराम पुत्र माडूराम पुत्र श्री बुधराम जाति नायक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
7. मन्जूदेवी पुत्री माडूराम पुत्र श्री बुधराम जाति नायक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
8. कृष्णलाल पुत्र माडूराम पुत्र श्री बुधराम जाति नायक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
9. मायादेवी पत्नी सुलतानाराम पुत्र श्री बुधराम जाति नायक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
10. रिछपाल पुत्र श्री सुलतानाराम पुत्र श्री बुधराम जाति नायक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
11. नैनाराम पुत्र श्री सुलतानाराम पुत्र श्री बुधराम जाति नायक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
12. सुमनदेवी पुत्री श्री सुलतानाराम पुत्र श्री बुधराम जाति नायक निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
13. बुधराम पुत्र प्रेमाराम जाति नायक निवासी चक 18 एम.एल. लूनियां तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)–जरिये मुखत्यारे आम

अपीलार्थी

बनाम

1. गोपाल राम पुत्र श्री गणपत जाति नायक साकिन चक 20 एम.एल. बी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. नत्थूराम पुत्र श्री नन्दराम जाति नायक साकिन खखां तहसील वा जिला श्रीगंगनगर (राज0)

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर दिनांक 24.01.2017

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उपस्थित :
1.श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री सुभाष मिढा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश :: दिनांक :– 17.02.2020

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना कि जमीन पर कब्जा बैयनामा के आधार पर है जो सरासर गलत है अपीलांट द्वारा किसी को बैयनामा नहीं करवाया ना तो नत्थूराम को बैयनामा करवाया ओर ना ही गोपालराम को कोई बैयनामा किया जब कि अपीलांट द्वारा कोई बैयनामा नहीं किया तो अपीलांट की भूमि पर रेस्पोडेण्टान नाजायज कब्जा माना जायेगा। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना कि हरीजन की भूमि पर हरीजन काबिज होने से अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते यह सरासर गलत है जैसा कि जिसने अनुसूचित जाति अन्य अनुसूचित जाति/जन जाति की भूमि पर बिना विधि पूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है उसमें बेदखल किया जा सकता है। इसमें ऐसा नही की स्वर्ण जाति द्वारा किया हो इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रूलिंग पेश की गई थी लेकिन अदालत ने इस पर गोर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया कि विक्रय के बाद इन्तकाल हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व फाईल तथा दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया पटवारी हल्का की रिपोर्ट साबित है कि वर्तमान में रकबा अपीलांट के पिता के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलांट द्वारा जो जमाबन्दी वर्तमान प्रस्तुत की है उसमें रकबा अपीलांट के पिता के नाम दर्ज है जब रकबा अपीलांट के पिता के नाम दर्ज है तो रेस्पोडेण्टान के नाम इन्तकाल होने तथ्य गलत दर्ज कर मिली भगत से आदेश पारित किया गया है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.01.2017 को निरस्त किया जाकर जमीन का कब्जा अपीलांटान को दिया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि बुधराम पुत्र त्रिलोकाराम को रकबा भारत सरकार द्वारा अलाट हुआ था जो जीवो के आधार पर 12.5 बीघा अलाट हुआ जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था। खातेदारी सनद हेतु दिनांक 30.04.1976 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदारने फार्म नम्बर 16 भरकर भिजवाया जिसमें कोई बकाया होना नहीं बताया। कब्जा रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 06.10.2019 को खातेदारी सनद जारी हुई एवं इन्तकाल दर्ज हुआ। अपीलांट द्वारा कोई बैयनामा नहीं करवाया गया (बुधराम के परिवार द्वारा कोई बैयनामा नहीं करवाया गया) अलाटी बुधराम ने एक मुखत्यारनामा दिया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उक्त मुखत्यारनामा मैने खातेदारी सनद प्राप्त करने हेतु दिया क्योंकि में एक वृद्व व्यक्ति हूँ। मुखत्यारनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाया एवं उक्त विवादित जमीन को आगे बेचान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना कि जमीन पर कब्जा बैयनामा के आधार पर है जो सरासर गलत है अपीलांट द्वारा किसी को बैयनामा नहीं करवाया ना तो नत्थूराम को बैयनामा करवाया ओर ना ही गोपालराम को कोई बैयनामा किया जब अपीलांट द्वारा कोई बैयनामा नहीं किया तो अपीलांट की भूमि पर रेस्पोडेण्टान नाजायज कब्जा माना जायेगा। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना कि हरीजन की भूमि पर हरीजन काबिज होने से अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते यह सरासर गलत है। अनुसूचित जाति अन्य अनुसूचित जाति/जन जाति की भूमि पर बिना विधि पूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है उसमें बेदखल किया जा सकता है। इसमें ऐसा नही की स्वर्ण जाति द्वारा किया हो इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रूलिंग पेश की गई थी लेकिन अदालत ने इस पर गोर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया कि विक्रय के बाद इन्तकाल हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व फाईल तथा दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है कि वर्तमान में रकबा अपीलांट के पिता के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलांट द्वारा जो जमाबन्दी वर्तमान प्रस्तुत की है उसमें रकबा अपीलांट के पिता के नाम दर्ज है। जब रकबा अपीलांट के पिता के नाम दर्ज है तो रेस्पोडेण्टान के नाम इन्तकाल दर्ज कर मिली भगत से आदेश पारित किया गया है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.01.2017 को निरस्त किया जाकर जमीन का कब्जा अपीलांटान को दिया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 24.01.2017 का है जबकि अपीलांट द्वारा अपील 08.03.2017 को पेश की है जो लिमिटेशन से बाहर है। अपीलांट द्वारा जो आवेदन द्वारा तहसीलदार के समक्ष पेश किया उसमें रिलिफ जो मांगी वह 183 बी की मांगी। अपीलांट के पिता बुधराम द्वारा बैयनामा/मुखत्यारनामा वर्ष 1963 में करवाया गया है जिसे कहीं चैलेंज नहीं किया गया। अपीलांट के पिता बुधराम ने रूपयों की जरूरत के लिए भूमि के विक्रय हेतु स्वेच्छा से मुख्तयारनामा गोपालराम को किया था जो उप पंजीयक श्रीगंगानगर से दिनांक 07.06.1963 को पंजीबद्व करवाया गया है। उक्त रकबा का बैचान गोपालराम ने मुखत्यारनामा की हैसियत से 12.01.1979 को नत्थुराम पुत्र नन्दराम को किया गया जिसके आधार पर नामान्तरण दर्ज हो चुका है। कब्जा वैद्य बैयनामा के आधार पर है इस कारण 183 बी आर.टी.आई. लागु नहीं होती है। बैयनामा पर सुनवाई का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है सिविल कोर्ट का अधिकार है। अपील मियाद बाहर जिसे खुद स्वीकार किया है। तहसीलदार श्रीगंगानगर का निर्णय सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलांट द्वारा जो आवेदन द्वारा तहसीलदार के समक्ष पेश किया उसमें रिलिफ जो मांगी वह 183 बी की मांगी। अपीलांट के पिता बुधराम द्वारा बैयनामा/मुखत्यारनामा वर्ष 1963 में करवाया गया है जिसे कहीं चैलेंज नहीं किया गया। अपीलांट के पिता बुधराम द्वारा मुख्तयारनामा गोपालराम को किया गया वो उप पंजीयक श्रीगंगानगर से

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दिनांक 07.06.1963 को पंजीबद्व है। उक्त रकबा का बैचान गोपालराम ने मुखत्यारनामा की हैसियत से 12.01.1979 को नत्थुराम पुत्र नन्दराम को किया गया जिसके आधार पर नामान्तरण दर्ज हो चुका है। उक्त बैयनामा/मुखत्यारनामा के आधार पर तहसीलदार श्रीगंगानगर जो आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर